Topic no.35

बर्न कन्वेंशन

अत्यावश्यक 50 विषय

प्रीलिम्स 2019 के लिए

क्यों अत्यावश्यक विषय श्रृंखला महत्वपूर्ण है?

2017 के प्रीलिम्स में, 50 अत्यावश्यक विषय श्रृंखला में 9 प्रश्न शामिल थे।

2018 की प्रारंभिक परीक्षा में, 40 अत्यावश्यक विषय श्रृंखला में 8 प्रश्न शामिल थे।

2019 के प्रीलिम्स में, ...

Telegram पर अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिए, हमारे चैनल @UpscPrepMate से जुड़ें

जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

पुस्तकें खरीदने के लिए

पर क्लिक करें

Whatsapp पर अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिए, अपना नाम और शहर Whatsapp नंबर पर भेजें

75978-40000

बर्न कन्वेंशन (Berne Convention)

साहित्य और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन (जिसे केवल बर्न कन्वेंशन भी कहा जाता है) कॉपीराइट के संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इस कन्वेंशन को पहली बार 1886 में स्विट्जरलैंड के बर्न में अपनाया गया था।

बर्न कन्वेंशन ने आधुनिक कॉपीराइट कानून के कई पहलुओं को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए, इसने इस अवधारणा को पेश किया कि बौद्धिक कार्य के अस्तित्व में आते ही उस पर कॉपीराइट अपने आप लागू हो जाना चाहिए। कन्वेंशन में यह भी कहा गया है कि कन्वेंशन के किसी दल के नागरिक द्वारा प्राप्त कॉपीराइट को अन्य दलों द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। फरवरी 2018 तक, बर्न कन्वेंशन में भारत सहित 176 दल हैं।

डब्ल्यूआईपीओ (विश्व बौद्धिक संपदा संगठन) कॉपीराइट संधि

डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट संधि (WIPO Copyright Treaty, डब्लूसिटी) डिजिटल वातावरण में लेखकों के कार्यों की सुरक्षा और उनके अधिकारों से संबंधित है। यह बर्न सम्मेलन के तहत एक विशेष समझौता है। डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट संधि दो प्रकार के विषयों की कॉपीराइट से रक्षा करती है:

1. कंप्यूटर प्रोग्राम, और
2. डेटा का संकलन (डेटाबेस)।

डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट संधि पर 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 2002 में लागू हुई थी। जुलाई 2018 तक, संधि में यूरोपीय संघ सहित 96 अनुबंधित पार्टियां हैं। भारत डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट संधि के लिए एक पार्टी नहीं है। भारत की कैबिनेट ने इस संधि को मंजूरी दे दी है। निकट भविष्य में, भारत के इस संधि का सदस्य होने की उम्मीद है।

डब्ल्यूआईपीओ प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि

डब्ल्यूआईपीओ प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि (WIPO Performances and Phonograms Treaty, डब्ल्यूपीपीटी), विशेष रूप से डिजिटल वातावरण में, दो प्रकार के लाभार्थियों (i) कलाकारों (अभिनेताओं, गायकों, संगीतकारों आदि) और (ii) फोनोग्राम (ध्वनि रिकॉर्डिंग) के निर्माताओं के अधिकारों से संबंधित है।

जहाँ तक कलाकारों का सवाल है, संधि उन्हें को आर्थिक और नैतिक अधिकार प्रदान करती है।

नैतिक अधिकारों में निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं- i) कलाकार के रूप में पहचाने जाने का अधिकार और ii) किसी भी विकृति, उत्परिवर्तन या अन्य संशोधन पर आपत्ति करने का अधिकार, जो कलाकार की प्रतिष्ठा के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण होगा।

जहाँ तक फोनोग्राम के निर्माताओं का सवाल है, संधि उन्हें उनके फोनोग्राम में आर्थिक अधिकार देती है: (i) पुनरुत्पत्ति का अधिकार; (ii) वितरण का अधिकार; (iii) किराये का अधिकार; और (iv) उपलब्ध कराने का अधिकार। इस प्रकार, संधि निर्माताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म और वितरकों के साथ समझौतों में भी सशक्त बनाती है।

डब्ल्यूपीपीटी पर 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 2002 में लागू हुई थी। जुलाई 2018 तक, संधि के लिए यूरोपीय संघ सहित 96 अनुबंधित पार्टियां मौजूद हैं। भारत डब्ल्यूपीपीटी संधि के लिए एक पार्टी नहीं है। भारत की कैबिनेट ने इस संधि को मंजूरी दी है। निकट भविष्य में, भारत के इस संधि का सदस्य होने की उम्मीद है।

डब्लूसिटी और डब्ल्यूपीपीटी को साथ में डब्ल्यूआईपीओ "इंटरनेट संधियाँ" कहा जाता है।